तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्र.सं. 35/2018 जीसीएमएस : 2018/00030 हरीकिशन आदि बनाम सरकार आदि वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट, 136 एलआरएक्ट	नम्बर व तारीख अहकाम जो जो इस हुक्म की तामील में जारी किये गये
21.04.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। रिपोर्ट तहसीलदार श्रीविजयनगर गत पेशी पर प्राप्त हो चुकी है। वादी अधिवक्ता के निवेदन पर पत्रावली पर बहस सुनी गयी। बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रतिवादी सं. 1 राज. सरकार की ओर से राजपैरोकार हाजिर। प्रतिवादी सं. 2 को जरिए रजि. एडी सम्मन तलब किया गया था। प्रतिवादी सं. 2 बाद तामील हाजिर नहीं। प्रतिवादी सं. 2 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वादीगण के द्वारा वादीगण के नाम से रिकार्ड में दर्ज भूमि चक 33 जीबी मु.नं. 51 प.नं. 184/420 कि.नं. 1, 10, 20, 21 में दर्ज खाला की दुरूस्ती करवा राजस्व रिकार्ड में वादीगण को उक्त खाला की भूमि का खातेदार घोषित करवाने के अनुतोष के आधार पर वाद पेश किया है। तहसीलदार(भू.अ.) श्रीविजयनगर की रिपोर्ट क्रमांक/भू. अ./2024/2642 दिनांक 10.09.2024 के अनुसार चक 33 जीबी प. नं. 184/420 मु.नं. 51 कि.नं. 1–10–11–20 –21 एवं 21 ता 25 में 2–2 बिस्वा खाला दर्ज रिकार्ड है। कि.नं. 1–10–11–20–21 में मुताबिक जमाबंदी खाला खातेदारों के खाते में खातेदार के रूप में दर्ज रिकार्ड है एवं मौके पर चालू है। जमाबंदी संवत 2022–25 व 2029–32 तक में उक्त उक्त रकबा में खाला का अंकन नहीं है तदुपरान्त मिसल बन्दोबस्त सम्वत 2033 में उक्त खाले का अंकन है तथा उसके बाद की जमाबंदी में आदिनांक तक खाला दर्ज रिकार्ड है। प्रकरण में प्राप्त रिपोर्ट भू अभिलेख निरीक्षक के अनुसार खाला मौके पर चल रहा है व रिकार्ड में भी स्वीकृत है। कच्चा खाला चल रहा है। खाला की आवश्यक्ता है इससे मु.नं. 185/419 व 184/419 को मौके पर सिंचाई सुविधा मिल रही है। सहायक अभियंता जल संसाधन जैतसर के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट क्रमांक/590 दिनांक 10.12.2024 के अनुसार सीसीए में खाला का रकबा दर्ज नहीं है। खाला निरस्त होने पर विभाग को कोई आपत्ति नहीं है। इस पर तहसीलदार श्रीविजयनगर को सहायक अभियंता जल संसाधन जैतसर के प्राप्त रिपोर्ट एवं प्रश्नगत रकबा के चारों ओर से कृषि भूमि के मध्यनजर पुनः मौका जांच रिपोर्ट भिजवाने हेतु लिखा गया। मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार प्रकरण का संबंध चक 33 जीबी मु.नं. 51 से है तथा कि.नं. 21 से 25 में खाला स्थित है कि.नं. 1,10,11,20,21 में मौके पर खाला स्थित नहीं है, जबकि इसी मुरब्बे के चिपते प.नं. 185/420 मु.नं. 52 के कि.नं. 5,6,15,16,25 में मौके पर खाला स्थित है। वादीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों का परिशीलन किया। वादीगण के द्वारा कथन किया गया है कि कि.नं. 1,10,11,20,21 में कभी भी खाला नहीं रहा है और न ही वर्तमान में है, रिकार्ड जमाबंदी में खाला सहवन से गलत दर्ज हो गया है। तथा तहसीलदार श्रीविजयनगर की रिपोर्ट अनुसार मिसल बन्दोबस्त सम्वत 2033 में उक्त खाले का अंकन हुआ है जिसके पश्चात [illegible] का अंकन रिकार्ड में चला आ रहा है। वादीगण की ओर से प्रस्तुत [illegible] भू प्रबन्ध विभाग मिलान क्षेत्रफल एवं जमाबंदी [illegible] पाया है कि भू प्रबन्ध कार्यवाही के दौरान [illegible] रिकार्ड में हुआ है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों अनुसार जमाबंदी संवत 2029–32 में उक्त उक्त रकबा में खाला का अंकन नहीं है, मिलान क्षेत्रफल में भी कि.नं. 1,10,11,20,21 में खाला नहीं दर्शाया गया है, जबकि इसके पश्चात तैयार की गयी जमाबंदी संवत 2033 में उक्त खसराजात को विभाजित कर खाला का अंकन किया गया है लेकिन उक्त अंकन किस आदेश के आधार पर किया गया है का नोट अंकित नहीं है। तहसीलदार श्रीविजयनगर की रिपोर्ट क्रमांक/भू.अ./1363 दिनांक 09.04.2025 के अनुसार भी खाला वादीगण की भूमि मु.नं. 51	

शकुंतला
उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.08.20 11:29:00 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्र.सं. 35/2018 जीसीएमएस : 2018/00030 हरीकिशन आदि बनाम सरकार आदि वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट, 136 एलआरएक्ट	नम्बर व तारीख अहकाम जो जो इस हुक्म की तामील में जारी किये गये

में नहीं होना अंकित किया गया है। ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट है कि प्रकरण रिकार्ड दुरूस्ती का है एवं प्रकरण में दुरूस्ती की जानी उचित है। प्रकरण में किसी प्रकार के अधिकारों की घोषणा न की जाकर केवल रिकार्ड दुरूस्ती का अनुतोष ही प्रदान किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में वाद पत्र में घोषणात्मक अनुतोष नहीं होने के कारण डिक्री जारी करने की आवश्यक्ता नहीं है। रिकार्ड शुद्धि के आदेश तहसीलदार श्रीविजयनगर को दिया जाना न्यायोचित है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर वाद पत्र वादीगण रिकार्ड शुद्धि के अनुतोष की हद तक आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है और तहसीलदार श्रीविजयनगर को आदेश दिया जाता है कि राजस्व रिकार्ड चक 33 जीबी के मु.नं. 51 प.नं. 184/420 के कि. नं. 1,10,11,20,21 जो कि विभक्त कर कि.नं. 1/3/0.025, 10/2/0.023, 10/3/0.025, 11/2/0.025, 20/2/0.025 व 21/2/0.051 खाला के रूप में रिकार्ड दर्ज है को दुरूस्त करते हुए कि.नं. 1/3/0.025, 10/2/0.023, 10/3/0.025, 11/2/0.025, 20/2/0.025 है. रकबे को खातेदार के नाम से खातेदारी दर्ज करें तथा कि.नं. 21/2 में दर्ज 0.051है. खाला में से 0.026है. भूमि खाला से कम करते हुए खातेदार की खातेदारी में दर्ज करें, कि.नं. 21/2 में शेष 0.025है. भूमि खाला के रूप में यथावत दर्ज रखी जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार श्रीविजयनगर को पालनार्थ प्रेषित की जावे। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैंसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

शकुन्तला
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
श्रीविजयनगर

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट श्रीविजयनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.08.20 11:29:00 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner